सं 1/6/2020-पीएंडपीडबल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी मंजिल, लोकनायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली

दिनांक 3 मार्च,2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: कुटुंब पेंशन के लिए पेंशन अदायगी आदेश(पीपीओ) में स्थायी रूप से विकलांग बच्चे/बच्चों का सह-प्राधिकार - के संबंध मे।

इस विभाग के संज्ञान में आया है कि अभिभावक की पासपोर्ट साइज फोटो, अभिभावक के बैंक खाते का ब्यौरा दर्शाते हुए विवरण/पासबुक की प्रति आदि जैसी सूचना उपलब्ध करने के लिए संस्वीकृति प्राधिकारियों के दबाव के कारण, पेंशनभोगियों को अपने विकलांग बच्चों या सहोदरों को पेंशन अदायगी आदेशों (पीपीओ) में सह-प्राधिकृत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि स्थायी रूप से विकलांग बच्चे/बच्चों या सहोदरों के पक्ष में सह-प्राधिकार के मामले को संसाधित करते समय पेंशनभोगियों को किसी भी तरह की कठिनाई से बचाने के लिए पहले से ही कई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। पहले ही जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों के आधार पर, सह-प्राधिकार की प्रक्रिया को फिर से दोहराया जा रहा है जो कि निम्नलिखित हैं -

1. पति या पत्नी के अलावा कुटुंब पेंशन के लिए कोई अन्य पात्र पूर्व दावेदार न होने की स्थिति में, स्थायी रूप से विकलांग बच्चे/बच्चों या सहोदरों को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को जारी किए जाने वाले पेंशन अदायगी आदेश (पीपीओ) में सह-प्राधिकृत किया जा सकता है।(का.ज्ञा.सं 1/27/2011- पीएंडपीडबल्यू(ई) दिनांक 1 जुलाई, 2013).
2. पेंशन संवितरण प्राधिकारी स्थायी रूप से विकलांग बच्चे या आश्रित माता-पिता या विकलांग सहोदर के लिए कुटुंब पेंशन के भुगतान को प्राधिकृत करेगा, जिसका नाम पेंशन अदायगी आदेश में कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु या अपात्रता पर दावा प्राप्त करने के बाद शामिल किया गया है। यदि सह-प्राधिकृत व्यक्ति के नाम पर कोई खाता नहीं है, तो बैंक खाता खोलने में भी सुविधा प्रदान करेगा। (केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली ,1972 में नियम 81 में उप-नियम 2(vi) के परंतुक के अनुसार)।
3. मानसिक रूप से विकलांग बच्चे/बच्चों या सहोदरों के मामले में, कुटुंब पेंशन सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को ही संदेय होगी।(केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली,1972 में नियम 54 में उप-नियम 6 के परंतुक के अनुसार)।

4. यदि सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी द्वारा अपने जीवन काल के दौरान कार्यालय अध्यक्ष को कोई ऐसा नामनिर्देशन प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो ऐसे सरकारी कर्मचारी या कुटुंब पेंशनभोगी के पति/पत्नी द्वारा बाद में नामनिर्देशित व्यक्ति को संदेय होगा।(केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली,1972 में नियम 54 में उप-नियम 6 के परंतुक के अनुसार)।
5. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (संसद द्वारा पारित कानून के प्राधिकार पर जारी अधिनियम), की धारा 14 के तहत स्थानीय स्तरीय समितियों द्वारा जारी किए गए संरक्षकता प्रमाण पत्र को अधिनियम में शामिल उपरोक्त विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के संबंध में कुटुंब पेंशन प्रदान किए जाने हेतु अभिभावक के नामनिर्देशन/नियुक्ति के लिए स्वीकार किया जा सकता है। ।(केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली,1972 में नियम 54 में उप-नियम 6 के परंतुक के अनुसार)।
6. सह-प्राधिकार पेंशन अदायगी आदेश(पीपीओ) में किया जाएगा या यदि बच्चा/बच्चे या सहोदर पीपीओ जारी किए जाने के बाद कुटुंब पेंशन के लिए प्राधिकृत किया गया है, तो संशोधित प्राधिकार जारी करके किया जाएगा। (का.ज्ञा.सं. 1/27/2011-पीएंडपीडबल्यू(ई) दिनांक 1 जुलाई,2013) उपरोक्त को ध्यान में रखकर, यह स्पष्ट किया गया है कि अभिभावक का नाम, अभिभावक की फोटो और उनके बैंक खाते का ब्योरा जैसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए पेंशनभोगियों पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। कुटुंब पेंशन के लिए पीपीओ में सह-प्राधिकार के लिए ऐसे आश्रित के मामले में प्रक्रिया के लिए विकलांग बच्चा या सहोदर के ब्योरे सहित विकलांग प्रमाणपत्र ही पर्याप्त होगा।

(संजय शंकर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

1. सीजीए कार्यालय, सातवाँ तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली (सामान्य कार्रवाई के अतिरिक्त, यह भी अनुरोध किया जाता है कि स्थायी रूप से विकलांग बच्चों/सहोदरों तथा आश्रित माता-पिता के प्राधिकार समायोजित करने के लिए पीपीओ के प्रारूप में आवश्यक संशोधन करें।)
2. सीपीएओ, त्रिकुट-II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-66 (यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त निर्णयों के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए योजना पुस्तिका में आवश्यक संशोधन करें ।
3. एनआईसी को कार्यालय ज्ञापन को अपलोड करने हेतु ।